27 01/20 — पत्रावली पेश हुई। वकला फरीकैन उपस्थित। अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। दावा स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली निर्णय मे शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उ॰ अ॰

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

पीठासीन अधिकारी – भागीरथ शाख, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 122/2019 दायर दिनांक – 09.09.2019

1. सत्यपाल पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी छोटी गोठा तहसील राजगढ जिला चुरू।

– वादी –

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूनकरनसर।

– प्रतिवादी –

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री नेतराम सियाग वादी की ओर से।

–:निर्णय:–

दिनांक :– 27.01.2020

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से ग्राम रोही सुंई तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1783/158 में 7.12 बीघा, खसरा नम्बर 1785/158 में 12.08 बीघा कुल तादादी 20 बीघा, बारानी संयुक्त खातेदारी भूमि है जो वादी की खरीदशुदा भूमि है तथा वादी के कब्जे काश्त में है। वादी को सत्यपाल व सत्यनारायण दोनों नाम से पुकारा जाता है किन्तु वादी का वास्तविक नाम सत्यपाल है। वादगत भूमि खरीद किये जाते समय किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होने से वादी का नाम सत्यनारायण लिखवा दिया गया इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अब के स्थान पर सत्यपाल नाम संशोधित करवाना चाहता है। अलग–अलग नाम होने के कारण वादी किसी सरकारी सुविधा को प्राप्त नहीं कर पा रहा है अतः वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सत्यनारायण के स्थान पर सत्यपाल की घोषणा करवाने का हकदार है। दिनांक 07.08.2019 को वादी द्वारा अपने नाम की दुरूस्ती करवाने हेतु तहसीलदार के समक्ष निवेदन किया गया किन्तु उनके द्वारा इन्कार करने पर वादी को वादकारण हासिल हुआ। अतः वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावे कि उपरोक्त वादगत भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सत्यनारायण के स्थान पर सत्यपाल दुरूस्त किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी(तहसीलदार लूनकरणसर) को जरिये समन तलब किया गया। तहसीलदार लूनकरनसर द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी का नाम सत्यनारायण के स्थान पर सत्यपाल किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। दावा स्वीकार फरमाया जावें।

3. वकील वादी की इकतरफा बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

वकील वादी ने अपनी बहस में दावा मीमो के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी की तहसील लूनकरनसर के ग्राम रोही सुंई के खसरा नम्बर 1783/158 में 7.12 बीघा, खसरा नम्बर 1785/158 में 12.08 बीघा कुल तादादी 20 बीघा, बारानी संयुक्त खातेदारी भूमि है। भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सत्यपाल की जगह सत्यनारायण लिखा गया है जबकि सही नाम सत्यपाल है। उक्त दोनों नाम वादी के ही इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वादगत भूमि खरीद की उस समय किसी प्रकार का परिचय पत्र नहीं लगाया जाता था व वादी का बोलता नाम सत्यनारायण था इसलिए वादी का नाम सत्यपाल की जगह सत्यनारायण राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया है। वादी सत्यनारायण की जगह दुरूस्त करवाकर सत्यपाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। वादी तहसीलदार के पास नाम दुरूस्त करवाने गया तब तहसीलदार ने नाम दुरूस्ती करने से मना कर दिया। इसी दिनांक 07.08.2019 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है, यही बिनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत है। अतः वादी का नाम तहसील लूनकरनसर के ग्राम रोही सुंई के खसरा नम्बर 1783/158 में 7.12 बीघा, खसरा नम्बर 1785/158 में 12.08 बीघा कुल तादादी 20 बीघा, बारानी संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसमें वादी अपने नाम सत्यनारायण की जगह सत्यपाल शुद्ध करने की घोषणा करवाना चाहता है। वकील वादी ने वादपत्र के साथ ग्राम पंचायत, गोठ्या बड़ी, पंचायत समिति,राजगढ़(चूरू) की तस्दीक एवं आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेज पेश किये हैं जिनमें वादी का नाम सत्यपाल अंकित है। शपथ–पत्र सहखातेदारान दयानन्द, महीपाल, धुपसिंह पुत्र रूपाराम जाति जाट तथा जमाबंदी ग्राम सुंई तहसील लूनकरनसर संवत 2073–2076, खाता संख्या– 281 पेश की गई जिसमें वादी का नाम संयुक्त खातेदारी में सत्यपाल दर्ज है।

4. हमने वकील वादी की बहस के कथनों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एंव ग्राम पंचायत गोठिया बड़ी, पंचायत समिति राजगढ़(चूरू) की तस्दीक, शपथ–पत्र दयान्द, महीपाल, धुपसिंह पुत्र रूपाराम तथा जमाबंदी आदि दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सत्यपाल व सत्यनारायण दोनो नाम वादी के हैं, वादी के बोलते नाम सत्यनारायण से वादगत भूमि खरीद की गई इस कारण राजस्व रिकार्ड में सत्यनारायण नाम से अंकन हुआ है। अब वादी सत्यानारायण के स्थान पर सत्यपाल नाम की शुद्वि करवाना चाहता है अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वादगत भूमि ग्राम रोही सुंई तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1783/158 में 7.12 बीघा, खसरा नम्बर 1785/158 में 12.08 बीघा कुल तादादी 20 बीघा, बारानी संयुक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सत्यनारायण के स्थान पर सत्यपाल दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : भागीरथ शाख, आरएएस

सत्यपाल **बनाम** सरकार

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 136 एल आर एक्ट

मुकदमा नम्बर : 122/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वकील वादी श्री नेतराम सियाग,** मिनजानिब मुदई **पैरोकारराज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादगत भूमि ग्राम रोही सुंई तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1783/158 में 7.12 बीघा, खसरा नम्बर 1785/158 में 12.08 बीघा कुल तादादी 20 बीघा, बारानी संयुक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सत्यनारायण के स्थान पर सत्यपाल दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक **27.01.2020** को डिक्री जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2020.02.04 17:15:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: